नर्मदा बनाम भारत संघ

ए.आई.आर. 1975, दिल्ली 115

तथ्य

प्रार्थी ने, जो सवर्ण जाति के परिवार (पंजाब के मलहोत्रा) की थी, वह रिट याचिका दायर की। उसका दावा यह था चूंकि उसका विवाह फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट सी.डी. निंबा. (जो अनुसूचित जाति के थे) से हुआ था इसलिए वह सरकारी पद के लिए जो पिछड़े समुदायों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित था, अनुसूचित जाति की उम्मीदवार माने जाने की हकदार थी। उसने रक्षा मंत्रालय में रूसी अंग्रेजी के वरिष्ठ अनुवादक के पद के लिए आवेदन किया। परन्तु उसका चयन सूची अंग्रेजी के कनिष्ठ अनुवादक पद के लिए किया गया। उसका नाम क्रम संख्या दो पर रखा गया। क्रम संख्या 1 पर किसी अन्य व्यक्ति की इस आधार पर नियुक्ति कर ली गई कि उक्त पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित था। वह स्वयं चूंकि सवर्ण जाति की थी इसलिए केवल इस आधार पर कि उसका विवाह अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ हुआ था, उस पर विचार नहीं किया जा सकता था।

वाद-विषय

किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विवाह हो जाने पर क्या कोई सवर्ण जाति वाली महिला अनुच्छेद 16(4) के अधीन पिछड़े हुए समुदायों के लिए आरक्षित किसी सरकारी पद के संबंध में अनुसूचित जाति की उम्मीदवार होने का दावा कर सकती है?

निर्णय

न्यायमूर्ति एस. रंगराजन के माध्यम से न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वह उक्त पद की दावेदार नहीं हो सकती। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि यदि प्रार्थी जैसी महिला को, जो सवर्ण जाति की थी, ''सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए आरक्षित पदों के संबंध में प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति केवल मात्र इस कारणवश दी जाए कि उसने ऐसी जाति के व्यक्ति से विवाह किया है तो राज्य द्वारा उक्त वर्गों में लिए कुछ पद आरक्षित करने के उपबंध बेकार सिद्ध होंगे''।

तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई।